सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया

सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति विषयक नीति

A. संविधिक केन्द्रीय लेखापरीक्षकों(एससीए) की नियुक्ति –

संविधिक केन्द्रीय लेखापरीक्षकों(एससीए) की नियुक्ति, भारत सरकार / रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया द्वारा समय समय पर जारी दिशानिर्देशों के आधार पर की जाती है.
भारत सरकार के वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग द्वारा जारी उनके पत्र सं. एफ नं. 1/14/2004-बीओए दिनांक 25/11/2014 में सूचित किया गया कि वर्ष 2014-15 एवं आगे के लिए एससीए के चयन एवं नियुक्ति का कार्य प्रत्येक पीएसबी को प्रत्यायोजित कर दिया गया है. भारतीय रिजर्व बैंक एससीए के चयन के लिए चयन मानदंड उपलब्ध करायेगी. सी एवं एजी उनके पास उपलब्ध लेखापरीक्षकों की सूची उपलब्ध करवाएंगे एवं बैंक भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्व अनुमति के साथ उस सूची में से लेखापरीकक्षों का चयन कर सकती है.

1. **लेखा-परीक्षा फर्मों की संख्या**
   भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने पत्र सं. डीबीएस.एआरएस.नं.9724/08.91.008/2014-15 दिनांक फ़रवरी 6, 2015 द्वारा सूचित किया कि सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया "ए" श्रेणी का बैंक होने के कारण 6 एससीए फर्म से अधिक नहीं रख सकती है. नियुक्त किये जाने वाली एससीए फर्मों की वास्तविक संख्या बोर्ड द्वारा निर्धारित की जायेगी. भारतीय रिजर्व बैंक ने उल्लेखित किया है कि हमारे बैंक के लिए आवश्यक लेखा परीक्षा फर्मों की संख्या छः (6) है, तदनुसार हम यह प्रस्तावित कर रहे हैं कि हमारी बैंक एससीए की छः फर्मों को रख सकती है.

2. **संविधिक केन्द्रीय लेखापरीक्षकों की पात्रता, सूचीकरण एवं चयन करने के मानदंड**

   i. लेखा परीक्षा फर्म के पास कम से कम 7 पूर्णकालिक चार्टर्ड अकाउंटेंट होने चाहिए, जिनमें से कम से कम 5 पूर्णकालिक भागीदार विशिष्टत: फर्म से जुड़े होने चाहिए. शेष 2 या तो विशिष्ट भागीदार होने चाहिए या वे सीए कर्मचारी हो और लगातार एक वर्ष की अवधि से फर्म से जुड़े हुए हों. ये भागीदार फर्म से न्यूनतम अवधि से सतत जुड़े होने चाहिए. अर्थात इनमें से प्रत्येक का फर्म के साथ कम से कम 15 वर्ष या 10 वर्ष का सतत जुड़ाव होना चाहिए, दो का कम से कम 5 वर्ष का एवं एक का न्यूनतम एक वर्ष का जुड़ाव होना चाहिए. भागीदारों में से चार एफसीए होने चाहिए. साथ ही दो भागीदारों को न्यूनतम 15 और 10 वर्षों का प्रैक्टिस का अनुभव होना चाहिए. (यदि फर्म में बिना अवरोधित सेवा के उपलब्ध वेतनवृद्धि सीए को बाद में फर्म के भागीदार के रूप में लिया गया हो तो फर्म से उसका जुड़ाव उस तिथि से गिना जायेगा जिस तिथि से वह वेतनभोगी चार्टेड अकाउंटेंट रूप से नियुक्त हुआ था.)
   ii. व्यवसायिक स्टाफ की संख्या (टाइपिस्ट, स्टेनोग्राफर्स, कंप्यूटर ऑपरेटर्स, सेक्रेटरी/ज एवं सह-अधीनस्थ कर्मचारी आदि को छोड़कर) अर्थात लेखा-परीक्षा, बही खाता एवं लेखा शास्त्र की योग्यता धारक लेख लिपिक, जो बाह्य लेखा-परीक्षा में जुड़े हुए हों, 18 होनी चाहिए.

iii. फर्म की स्थापना हुए कम से कम 15 वर्ष हो चुके हों जिसे फर्म में एक सतत पूर्णकालिक एफसीए की उपलब्धता से माना जाएगा.

iv. फर्म को राष्ट्रीयकृत बैंकों के सांविधिक केन्द्रीय लेखा परीक्षण का (राष्ट्रीयकरण के पूर्व एवं पश्चात्) और/अथवा ऐसे किसी बैंक की किसी शाखा के सांविधिक लेखा परीक्षण का अथवा ऐसे निजी क्षेत्र के किसी बैंक जिसकी जमा राशियाँ 500 करोड़ से कम न हों का न्यूनतम 15 वर्ष का सांविधिक लेखा परीक्षण का अनुभव हो. (यदि किसी ऑडिट फर्म का भागीदार 3 वर्ष या उससे अधिक अवधि के लिए किसी भारत सरकार के उपक्रमी बैंक के निदेशक मंडल में नामित/चयनित होगा, तब उसका ऐसा अनुभव अधिकतम 3 वर्ष की अवधि के लिए बैंक का लेखा परीक्षण का अनुभव माना जायेगा, बशर्ते कि ऐसा अनुभव समवर्ती प्राप्त न किया गया हो अर्थात जब उसकी फर्म को किसी भारत सरकार के किसी उपक्रमी बैंक चयनित अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान/भारतीय रिजर्व बैंक की सांविधिक लेखा परीक्षण का कार्य आवंटित न किया गया हो.

v. फर्म का सार्वजानिक क्षेत्र के उपक्रमों (केन्द्रीय या राज्य सरकार का उपक्रम) का 5 वर्ष का संविधिक लेखा परीक्षा का अनुभव होना चाहिए. (जब ऐसे अनुभव की गणना की जा रही होगी, किसी विशेष वर्ष के दौरान फर्म को दिए गए एक से अधिक कार्याबंटन या फर्म को एक वर्ष से अधिक के लिए दी गई संविधिक लेखा परीक्षा (बकायों में लेखा परीक्षा), को ऐसे अनुभव की गणना के उद्देश्य से केवल एक वर्ष के अनुभव के समान माना जायेगा.

vi. फर्म के कम से कम दो भागीदार अथवा इसके वैतनिक चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास डीआईएसए/ सीआईएसए या अन्य कोई समकक्ष योग्यता अवश्य होनी चाहिए.

नोट : एक पूर्णकालिक भागीदार में वह व्यक्ति समाहित नहीं होगा जो,

- अन्य फर्मों में एक भागीदार हो,
- अन्य स्थान पर पूर्णकालिक/अंशकालिक नियुक्त हो, अपने नाम पर प्रैक्टिस कर रहा हो, अथवा/अन्यथा प्रैक्टिस से संलग्न हो और ऐसी अन्य कोई कार्यविधि जो चार्टर्ड अकाउंटेंटस अधिनयम, 1949 की धारा 2(2) अंतर्गत आती प्रतीत होती हो.

3. संविधिक केन्द्रीय लेखापरीक्षकों(एससीए) की नियुक्ति की प्रक्रियाविधि

ए) भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त पात्र फर्मों की सूची में से बैंक एससीए का चयन करेगा. रिजर्व बैंक उपलब्ध कराएगा – कार्यरत फर्मों की सूची (अर्थात ऐसी लेखा परीक्षा फर्मों की सूची जिसने लेखा परीक्षा में तीन वर्ष पूरे न किये हों), उन फर्मों की सूची जो विराम/ विश्रांत के दौर से गुजर रही हों, ऑडिट न कर रही पात्र फर्मों की दो भागों में सूची, अर्थात अनुभवी लेखा परीक्षा फर्म एवं नयी ऑडिट फर्म.

बी) एससीए की नियुक्ति वार्षिक आधार पर, रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया द्वारा समय-समय पर निर्धारित पात्रता नियमों की पूर्ति एवं उनकी उपयुक्तता के अधीन की जायेगी.

सी) एससीए के तौर पर तीन वर्ष की अवधि पूरी करने के पश्चात विराम समयावधि तीन वर्ष की होगी.

डी) एससीए के तौर पर सूचीबद्ध होने के लिए अभ्यावेदन दे रहीं, लेखा परीक्षा फर्म को वचन देना होगा कि, यदि उनका चयन होता है तो वे किसी प्राइवेट बैंक/विदेशी बैंक/

आरबीआई/ राष्ट्रीय आवास बैंक, एक्जिम बैंक जैसे वित्तीय संस्थान आदि के वर्तमान समनुदेशन / कार्य यदि कोई हो त्याग देंगे, एवं एक बार चयनित होने पर वे नियुक्ति से इनकार नहीं करेंगे.

ई) 'नयी' एवं 'अनुभवी' लेखा परीक्षा फर्मों के मध्य एससीए की रिक्तियों का आवंटन 60:40 के अनुपात में होगा. 60:40 के अनुपात के संबंध में बैंक प्राप्त संख्या को निकटवर्ती पूर्ण संख्या में निश्चित करेगा एवं तदनुसार 'अनुभवी' एवं 'नयी' फर्मों की सूची में से लेखा परीक्षकों का चयन करेगा. यहां 'अनुभवी' फर्म से आशय ऐसी फर्म से है जिसे सार्वजनिक क्षेत्र के किसी बैंक में सांविधिक केन्द्रीय लेखा परीक्षा का अनुभव हो एवं 'नई फर्म' से आशय उस फर्म से है जिसे ऐसा अनुभव न हो.

एफ) अंतिम चयन के समय, बैंक निम्न बिंदुओं को ध्यान में रखेगा-

i. जहां तक संभव हो, कम से कम दो ऐसी लेखा परीक्षा फर्में जिनका मुख्य कार्यालय उसी स्थान पर हो जहाँ बैंक का मुख्य/केन्द्रीय कार्यालय स्थित है को आवंटित किया जाएगा. अतः हमारा बैंक जहाँ तक संभव हो कम से कम दो ऐसी लेखा परीक्षा फर्मों का चयन करेगा जिनका मुख्य कार्यालय मुंबई में हो.
ii. वे लेखा परीक्षा फर्म चयनित नहीं की जाएँगी जो विराम अवधि में जाने से पूर्व हमारे बैंक से सेवानिवृत्त हो चुकी हों.
iii. जिन फर्मों के भागीदार हमारे बैंक के बोर्ड में हों उन्हें हमारे बैंक का लेखा परीक्षक नियुक्त नहीं किया जायेगा.
iv. किसी एक वर्ष में कोई लेखा परीक्षा फर्म केवल एक PSB में केन्द्रीय/शाखा लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त होने की पात्र होगी.

जी) लिखित सहमति प्राप्त करने के पश्चात हमारे बैंक द्वारा चयनित लेखा परीक्षा फर्म यदि बिना किसी तर्कसंगत कारण अर्थात ऐसे कारण जो आरबीआई को संतुष्टिजनक न लगने का आधार बनते हों, के आधार पर नियुक्ति से इनकार करती हो तो उस फर्म को 3 वर्षों के लिए विवर्जित/प्रतिबंधित कर दिया जायेगा.

एच) चयन के पश्चात, संविधिक आवयश्कता के अनुसार, बैंक वास्तविक नियुक्ति से पूर्व चयनित एससीए के नाम आरबीआई को उनकी पूर्वानुमति हेतु प्रेषित करेगा.

आई) बैंक की वार्षिक लेखा परीक्षा के पश्चात बैंक द्वारा एससीए की लेखा परीक्षा की गुणवत्ता पर अपनी प्रतिक्रिया आरबीआई को प्रेषित की जायेगी.

जे) लेखा परीक्षकों / लेखा परीक्षा फर्मों की स्वतंत्रता को बनाए रखने के उद्देश्य से बैंक द्वारा ऐसी किसी फर्म की नियुक्ति एससीए के तौर पर तीन वर्षों के लिए की जायेगी, जो प्रतिवर्ष फर्म द्वारा पात्रता मानदंड पूर्ण करने की शर्त के अधीन होगी. बैंक उपरोक्त अवधि के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्व अनुमति के बिना इन लेखा परीक्षा फर्मों को हटा नहीं सकेगा.

के) संविधिक केन्द्रीय लेखा परीक्षकों के तौर पर चयनित फर्मों की सूची को भा.रि.बैं. के अनुमोदनार्थ प्रेषित करने से पूर्व उसे एसीबी /बोर्ड के समक्ष सहमति के लिए रखा जायेगा.

एल) संविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति लिए बोर्ड से अनुमोदित नीति को बैंक की वेवसाइट पर डाला जायेगा.

4. **फर्म/फर्मों से प्राप्त किये जाने वाले वचनपत्र/घोषणाएं-**

चयनित फर्म/फर्मों से निम्नलिखित वचनपत्र/घोषणाएं प्राप्त की जाएंगी-

ए) हमारे बैंक में चयन होने पर, उस फर्म को किसी प्राइवेट बैंक/विदेशी बैंक/आरबीआई/ राष्ट्रीय आवास बैंक, एक्जिम बैंक जैसी वित्तीय संस्थाओं इत्यादि का वर्तमान कार्यभार/कार्य (यदि कोई हो) को छोड़ देंगे, एवं एक बार चयनित होने पर वे हमारे लिए नियुक्ति के लिए मना नहीं करेंगे.

बी) चयनित लेखा परीक्षा फर्म के बिना किसी कारण अथवा ऐसे कारण जो आरबीआई को संतुष्टिजनक न लगें के आधार पर नियुक्ति स्वीकारने से इनकार करने पर उस फर्म को नियुक्ति के लिए 3 वर्षों के लिए विवर्जित कर दिया जायेगा.

सी) हमारे बैंक के संविधिक केन्द्रीय लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्ति की सहमति के समय पर, उस फर्म को हमारे बैंक/हमारे बैंक की अनुषंगी द्वारा उसे आवंटित आंतरिक कार्यभार का त्याग करना होगा. उसकी सहायक फर्म या सह-संस्था को भी अन्तः लेखा परीक्षा या हमारे बैंक का अन्य विशिष्ट कार्यभार सौंपने के लिए अपात्र कर दिया जायेगा.

डी) फर्म से इस आशय का एक उपयुक्त वचनपत्र कि लेखा परीक्षा केवल उनके स्वयं के स्टाफ द्वारा ही की जायेगी और सौंपा गया अंकेक्षण कार्य किसी और को प्रदान नहीं करेगी.

ई) कम्पनी अधिनियम, 2013 के खण्ड 114 की कोई भी अपात्रतायें उन पर लागू नहीं होतीं और वे बैंक के संविधिक केन्द्रीय लेखा परीक्षक की नियुक्ति के लिए पात्र हैं.

एफ) आईसीएआई के रिकॉर्ड्स में फर्म/इसके किसी भागीदार/प्रोपराइटर के विरुद्ध विपरीत टिप्पणी/अनुशासनिक कार्रवाही लंबित/आरम्भ नहीं है, जो फर्म को लेखा परीक्षकों के तौर पर उनकी नियुक्ति को अपात्र बनाती है.

जी) कोई भी भागीदार या उनका पति या पत्नी, आश्रित बच्चे एवं पूर्ण अथवा प्रमुख रूप से आश्रित माता-पिता, भाई, बहनें या उनमें से कोई अथवा फर्म/कम्पनी जिसमें वे भागीदार/ निदेशक हों वे हमारे बैंक के कर्जदार नहीं हैं. इसके अलावा वे किसी बैंक या वित्तीय संस्था के इरादतन चूककर्ता घोषित नहीं हैं.

5. **पारिश्रमिक**

एससीए को अंकेक्षण के लिए पारिश्रमिक, यात्रा भत्ता/विराम भत्ता एवं अन्य आकस्मिक खर्चे आरबीआई द्वारा समय समय पर जारी दिशानिर्देशों के अनुसार अदा किये जायेंगे.

6. **निष्कासन**

एक लेखा परीक्षा फर्म जिसे संविधिक केन्द्रीय लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया हो को भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्व अनुमति से इसकी कार्यावधि में भी हटाया जा सकता है.

बैंक का निदेशक मंडल किसी एससीए को हटाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक को अनुशंसा करने के लिए सक्षम प्राधिकारी होगा.

बी) संविधिक शाखा लेखापरीक्षकों(एसबीए) की नियुक्ति –

1. शाखाओं का चयन

ए. वर्ष 2013-14 से भारत सरकार के उपक्रमी बैंकों की ऐसी सभी शाखाओं की सांविधिक लेखा परीक्षा की जाएगी जिनकी ऋण राशियाँ रु. 20 करोड़ या उससे अधिक होंगी एवं शेष शाखाओं में से 1/5th शाखाएं ऐसी हांगी जो ग्रामीण/अर्द्ध शहरी/शहरी एवं महानगरीय शाखाओं का प्रतिनिधित्व करती हों, विशेष रूप से ऐसी शाखाओं को समावेशित करते हुए जोकि संगामी लेखा परीक्षण के अंतर्गत न आती हों इस प्रकार समावेश होगा कि बैंक की 90% ऋण राशियों को कवर किया जा सके. केंद्रीयकृत प्रोसेसिंग ईकाई (सीपीयू) / ऋण प्रोसेसिंग ईकाई (एलपीयू) / एवं अन्य केंद्रीयकृत केंद्र, जिन्हें किसी भी नाम से क्यों न पुकारा जाता हो, को भी प्रतिवर्ष शेष 1/5 शाखाओं में सम्मिलित किया जाएगा.

बी) उन शाखाओं के संबंध में जो निर्दिष्ट बिंदु से नीचे हैं, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा समवर्ती अंकेक्षण के अधीन हैं, के एलएफएआर एवं अन्य प्रमाणन, जो पहले एसबीए द्वारा किए जाते थे वे अब से समवर्ती लेखा परीक्षकों द्वारा प्रस्तुत किये जायेंगे एवं ऐसी शाखाएं सामान्य तौर पर संविधिक लेखा परीक्षण के अधीन नहीं होंगी.

सी) इसके अलावा, भारत सरकार एवं एससीए की पारस्परिक चर्चा के साथ-साथ परिचालन दक्षता एवं सीबीएस प्रणाली की सुदृढ़ता, सिस्टम आधारित एनपीए खातों की पहचान एवं एमआईएस की विश्वसनीयता, पीएसबी का स्व-प्रबंधन इत्यादि चयनित शाखाओं के संविधिक लेखापरीक्षण के उद्देश्य से ऋण का प्रारंभिक स्तर तय किया जा सकेगा.

डी) उत्तरोत्तर, ऋण का यह प्रारंभिक स्तर बढ़ाया जाएगा ताकि संविधिक लेखा परीक्षण के लिए शामिल की जानेवाली शाखाओं की संख्या को एक समयावधि में कम किया जा सके.

2. शाखा लेखा परीक्षण के लिए लेखा परीक्षण फर्मों के चयन की प्रक्रियाविधि-

बैंक आरबीआई द्वारा अग्रेषित पात्र लेखा परीक्षण फर्मों की सूची में से शाखा लेखा परीक्षण के लिए लेखा परीक्षण फर्मों के नामों को चयनित करेगा. लेखा परीक्षण फर्मों के नामों को चयनित करते समय निम्न मानदंडों को ध्यान में रखा जायेगा.

ए) लेखा परीक्षण की जाने वाली शाखाओं के आस-पास ही जिन लेखा परीक्षण फर्मों का कार्यालय होगा उन फर्मों को प्राथमिकता दी जायेगी ताकि उनसे नजदीकी संपर्क रखा जा सके एवं यात्रा भत्ता/विराम भत्ता इत्यादि खर्चों को न्यूनतम रखा जा सके. स्थानीय लेखा परीक्षक उपलब्ध न होने की स्थिति में, आस-पास के जिलों/राज्यों के लेखा परीक्षकों (जैसा व्यवहार्य हो) पर विचार किया जाएगा.

बी) लेखा परीक्षा फर्मों का चयन यथासंभव उनकी श्रेणी, उनके स्थान एवं लेखा परीक्षण के लिए चयनित शाखाओं के आकार को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा.

सी) आरबीआई द्वारा निर्धारित अन्य कोई मानदंड.

डी) लेखा परीक्षा फर्मों को वर्तमान वर्ष एवं बाद के सतत वर्षों के लिए हमारी बैंक में नियुक्ति के सम्बन्ध में एक लिखित अप्रतिसंहरणीय सहमति देनी होगी.

ई) सांविधिक शाखा लेखा परीक्षण फर्मों की कार्यावधि 4 (चार) वर्ष होगी. आरबीआई द्वारा समय समय पर निर्देशित पात्रता नियमों के पूर्ण करने एवं उनके कार्य-निष्पादन एवं उपयुक्तता के आधार पर इनकी नियुक्ति वार्षिक आधार पर की जायेगी.
यह नियुक्ति आरबीआई की पूर्व अनुमति से ही की जायेगी.

एफ) एक लेखा परीक्षा फर्म किसी एक पीएसबी का लेखा परीक्षा कार्य ही ले सकता है.

जी) शाखाओं का आवंटन करते समय -

1. वर्तमान लेखा परीक्षकों एवं नए लेखा परीक्षकों के मध्य कोई भेद नहीं किया जाएगा.
2. जहाँ तक संभव हो, लेखा परीक्षकों को शाखाओं का आवंटन उनकी श्रेणी के अनुसार इस प्रकार किया जाएगा जैसे कि बड़ी शाखाएं बड़ी/अनुभवी लेखा परीक्षा फर्मों को आवंटित की जाएँगी.
3. स्थानीय लेखा परीक्षकों को प्राथमिकता दी जायेगी. स्थानीय लेखा परीक्षक उपलब्ध न होने की स्थिति में, राज्य के आस-पास के जिलों/नजदीकी राज्यों/अन्य राज्यों के लेखा परीक्षकों पर विचार किया जाएगा.
4. लेखा परीक्षा कार्य, नियुक्ति के लिए अनुमोदित/निश्चित सभी लेखा परीक्षकों को आबंटित किया जाएगा.
5. प्रत्येक लेखा परीक्षण फर्म को तीन (3) से अधिक शाखाएं (चाहें उनका आकार कुछ भी हो) आबंटित नहीं की जाएँगी.
6. बैंक के सांविधिक शाखा लेखा परीक्षक की नियुक्ति को स्वीकारने की स्थिति में, लेखा परीक्षक फर्म को हमारे बैंक के सभी आंतरिक कार्यभार त्याग ने होंगे.

3. फर्म/फर्मों से प्राप्त किये जाने वाले वचनपत्र/घोषणाएं-

ए) इस आशाय का एक उपयुक्त वचनपत्र फर्म से लेना चाहिए कि अंकेक्षण केवल उनके स्वयं के स्टाफ द्वारा ही किया जायेगा और वह अंकेक्षण कार्य किसी और को नहीं सौंपेगी.

बी) कम्पनी अधिनियम, 2013 के खण्ड 114 की कोई भी अपात्रतायें उन पर लागू नहीं हैं और वे बैंक के संविधिक केन्द्रीय लेखा परीक्षक की नियुक्ति के लिए पात्र हैं.

सी) आईसीएआई के रिकॉर्ड्स में फर्म/इसके किसी भागीदार/प्रोपराइटर के विरुद्ध विपरीत टिप्पणी/अनुशासनिक कार्रवाही लंबित/आरम्भ नहीं है, जो फर्म को लेखा परीक्षकों के तौर पर उनकी नियुक्ति को अपात्र बनाती है.

डी) कोई भी भागीदार या उनका पति या पत्नी, आश्रित बच्चे एवं पूर्ण अथवा प्रमुख रूप से आश्रित माता-पिता, भाई, बहनें या उनमें से कोई अथवा फर्म/कम्पनी जिसमें वे भागीदार/ निदेशक हों वे हमारे बैंक के कर्जदार नहीं हैं. इसके अलावा वे किसी बैंक या वित्तीय संस्था के इरादतन चूककर्ता घोषित नहीं हैं.

4. पारिश्रमिक

एसबीए को अंकेक्षण के लिए पारिश्रमिक, यात्रा भत्ता/विराम भत्ता एवं अन्य आकस्मिक खर्चे आरबीआई द्वारा समय समय पर जारी दिशानिर्देशों के अनुसार अदा किये जायेंगे.

5. निष्कासन

एक लेखा परीक्षा फर्म जिसे संविधिक केन्द्रीय लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया हो को भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्व अनुमति से इसकी कार्यावधि में भी हटाया जा सकती है. बैंक का निदेशक मंडल किसी एसबीए को हटाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक को अनुशंसा करने के लिए सक्षम प्राधिकारी होगा.